



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232727
CG-DL-E-19012022-232727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943

No. 244]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSH 28, 1943

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 248(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245द की उपधारा (9) और (10) तथा धारा 245ब की उपधारा (2) और (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम “ई-अग्रिम विनिर्णय स्कीम, 2022” है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ.- (1) इस स्कीम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) “अधिनियम” से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;

(ii) “प्रेषिती” का वही अर्थ होगा, जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है;

(iii) “अग्रिम विनिर्णय” का वही अर्थ होगा, जो इसका अधिनियम की धारा 245ङ के खंड (क) में है ;

- (iv) “आवेदक” से वह निर्धारिती अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 245थ के अधीन आवेदन फाइल करता है;
- (v) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” का वही अर्थ होगा, जो इसका अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में है;
- (vi) “स्वचालित आबंटन तंत्र” से संसाधनों के उपयोग के अनुकूलन की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजारों के उपयोग द्वारा जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग शामिल है, मामलों के यदृच्छ्या आबंटन के लिए प्रतीक गणित, अभिप्रेत है;
- (vii) “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” से अधिनियम की धारा 245ण्ख के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय बोर्ड अभिप्रेत है;
- (viii) “कम्प्यूटर संसाधन” का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में है;
- (ix) “कम्प्यूटर तंत्र” का वही अर्थ है, जो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है;
- (x) “पदाभिहित पोर्टल” से यथास्थिति प्रधान आय-कर महानिदेशक (तंत्र) या आय-कर महानिदेशक (तंत्र) द्वारा पदाभिहित वेब पोर्टल, अभिप्रेत है;
- (xi) “अंकीय हस्ताक्षर” का वही अर्थ है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में है;
- (xii) “इलैक्ट्रानिक रीति” से किसी ई-मेल, वीडियो टेलिफोनी या वीडियो कान्फ्रैंसिंग या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति के माध्यम से कोई संसूचना अभिप्रेत है;
- (xiii) “इलैक्ट्रानिक रिकार्ड” का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है;
- (xiv) “ई-मेल” या “इलैक्ट्रानिक मेल” और “इलैक्ट्रानिक मेल मैसेज” से कम्प्यूटर, कम्प्यूटर तंत्र, कम्प्यूटर संसाधन या संसूचना युक्ति जिसमें टैक्स्ट, इमेज, श्रव्य, दृश्य और अन्य इलैक्ट्रानिक रिकार्ड शामिल है, पर सृजित या पारेषित या ग्रहण किए मैसेज या जानकारी जो मैसेज के साथ पारेषित की जा सके, अभिप्रेत है;
- (xv) “संयुक्त सचिव, (विदेशी कर और कर अनुसंधान)” से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव, विदेशी कर और कर अनुसंधान के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (xvi) “प्रधान आयुक्त या आयुक्त” से किसी आवेदन के संबंध में-
- (i) आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त या आयुक्त; या
 - (ii) आवेदन के संबंध में बोर्ड द्वारा पदाभिहित प्रधान आयकर आयुक्त या आयुक्त अभिप्रेत है;
- (xvii) “रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता” से वह ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर इलैक्ट्रानिक संसूचना प्रेषिति को परिदत्त या पारेषित की गई है, अभिप्रेत है जिसमें –
- (क) पदाभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिति का इलैक्ट्रानिक फाइलिंग लेखे में उपलब्ध ई-मेल पता; या
 - (ख) निर्धारिति द्वारा अंतिम आय-कर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता ; या
 - (ग) निर्धारिति से संबंधित स्थायी खाता संख्या डाटाबेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या
 - (घ) उस मामले में जहां प्रेषिति कोई व्यक्ति है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटाबेस में उपलब्ध प्रेषिति की आधार संख्या या ई-मेल पता रखता है ; या
 - (ङ) उस मामले में जहां प्रेषिति एक कंपनी है, जिसका ई-मेल पता कारपोरेट कार्य मंत्रालय की शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध है ; या

(च) आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रेषिती द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता।

(xviii) “नियम” से आयकर नियम, 1962 अभिप्रेत है;

(xix) “सचिव” से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त आयुक्त अभिप्रेत है;

(xx) “वीडियो कान्फ्रेसिंग” या “वीडियो टेलीफोनी” से वास्तविक समय में लोगों के मध्य संचार के लिए विभिन्न अवस्थानों पर उपयोक्ताओं द्वारा आडियो-वीडियो सिग्नल के अंगीकरण और पारेषण के लिए तकनीकी समाधान अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं।

3. स्कीम का विस्तार.- यह स्कीम अग्रिम विनिर्णयों के आवेदनों पर लागू होगी।-(क) अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड को बनाने में ; या(ख) अधिनियम की धारा 245 थ की उपधारा (4) के अधीन अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड के अंतरण में।

4. अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा ई-अग्रिम विनिर्णय-(1) अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड, इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार, पैरा 5 के अधीन आवंटित या अंतरित आवेदनों के ई-अग्रिम विनिर्णयों को सुनाएगा।

(2) अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड के पास ऐसे अन्य आयकर प्राधिकरण, अनुसचिवीय कर्मचारीवृद्धि, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड के सदस्यों की सहायता करने को कार्यकारी या सलाहकार होंगे, जैसा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए।

5. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदनों का आवंटन.- यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुमोदन से अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड को स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से पैरा 3 में निर्दिष्ट, अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदनों को यादृच्छिक रूप से आवंटित या अंतरित करने की प्रक्रिया करेगा।

6. अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्रक्रिया.- पैरा 5 में निर्दिष्ट, अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड को आवंटित या अंतरित आवेदनों पर अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्रक्रिया, निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:-

(क) आवेदन फाईल करने के लिए प्रक्रिया-

(i) पैरा 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट, आवेदन, नियमों के नियम 44ड. के अधीन उल्लिखित प्ररूप सं. 34ग, 34घ, 34घक, 34ड., 34ड.क में आवेदक द्वारा, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड के सचिव द्वारा लिखित में सचिव या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा की जाएगी, ;

(ii) यदि आवेदक भारत में अब तक निर्धारित नहीं है वह जैसा कि आवेदन के सुसंगत प्ररूप में उपबंधित किया गया है उपावंथ 1 में उपदर्शित करेगा:-

(क) किसी देश में उसका प्रधान कार्यालय

(ख) वह स्थान जहां उसका कार्यालय और निवास अवस्थित है या भारत में अवस्थित होने की संभावना है, और

(ग) भारत में उसके प्रतिनिधियों का नाम और पता, यदि कोई हो, जो उसकी ओर से सूचना और कागजपत्र प्राप्ति को और कार्य करने को प्राधिकृत है

(iii) सचिव आवेदक को आवेदन वापस भेज सकता है यदि वह किसी रीति में की त्रुटिपूर्ण है तो त्रुटियों को हटाने के लिए ऐसे समय के भीतर वह अनुज्ञा दे सकता है। ऐसा आवेदन उस तारीख को दिया गया समझा जाएगा जब त्रुटियों को हटाने के पश्चात् इसे पुनः प्रस्तुत किया जाता है;

(iv) आवेदक आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन प्रत्याहृत कर सकता है ;

ख. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया.-

(i) यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड आबंटन या अंतरण के बारे में आवेदक को सूचना देगा ;

(ii) जहां पैरा 3 के खंड (ख) में निर्दिष्ट, आवेदन को, अधिनियम की धारा 245 की उपधारा (2) के अधीन अग्रिम विनिर्णयों के लिए प्राधिकरण को आदेश के माध्यम से, तारीख पर या पहले अनुज्ञा दी गई है जिस पर ऐसा मामला अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड को अंतरित किया जाता है, ऐसे आवेदन को अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा ;

(iii) यथा स्थिति, आबंटन या अंतरण पर, उपखंड (ii) में निर्दिष्ट आवेदन से भिन्न आवेदन को, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड, -

(क) जहां आवेदक भारत में कर निर्धारित है, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को आवेदन की प्रति अग्रेषित करेगा; या

(ख) जहां आवेदक भारत में अब तक कर निर्धारित नहीं है, वहां संयुक्त सचिव (विदेशी कर और कर अनुसंधान) को आवेदन की प्रति अग्रेषित करेगा,

ऐसे समय के भीतर सुसंगत अभिलेख देने की अध्यपेक्षा के साथ जैसा अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाए;

(iv) उपखंड (iii) की मद (ख) में यथानिर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर, संयुक्त सचिव (विदेशी कर और कर अनुसंधान) ऐसा आवेदन, यथास्थिति आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) या आयकर प्रधान आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को समनुदेशित करेगा, जो खंड के उपखंड (ii) की मद (ख) या (ग) में उल्लिखित व्यौरे से संबंध है ऐसे समय के भीतर जैसा अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उससे संबंधित सुसंगत अभिलेख देने का अनुरोध करता है ;

(v) उपखंड (iii) की मद (क) या उपखंड (iv) में यथानिर्दिष्ट, अनुरोध की प्राप्ति पर, सुसंगत अभिलेखों को उस प्राधिकरण द्वारा जिसको निर्देश दिया गया है अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड को दिया जाएगा;

(vi) जहा अनुरोध पहले से किए गए संव्यवहार के संबंध में है, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड, उस प्राधिकरण जिसको निर्देश दिया गया है आवेदन में अंतर्विष्ट तथ्यों के सत्यापन की अपेक्षा कर सकता है ;

(vii) जहां प्राधिकरण जिसको निर्देश दिया गया है, उपखंड (iii) की मद (क) या उपखंड (iv) में यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत अभिलेख देने में विफल रहता है वहां अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड उक्त अभिलेखों के लिए देरी के बिना आदेश द्वारा आवेदन मंजूर या नामंजूर कर सकती है;

(viii) जहां सुसंगत अभिलेख, उपखंड (iii) की मद (क) या उपखंड (iv) में यथाविनिर्दिष्ट, उस प्राधिकरण जिसको निर्देश दिया गया है द्वारा प्रस्तुत किया गया है अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड आवेदन और उक्त अभिलेखों की परीक्षा करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 245 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार,-

(क) आदेश द्वारा, आवेदन को मंजूर कर सकेगा ; या

(ख) आवेदक को इस स्पष्टीकरण के लिए बुलाएगा कि क्यों आवेदन नामंजूर नहीं किया जा सकता है और उसे ऐसे समय के भीतर ऐसे आवेदन के समर्थन में सुसंगत सामग्री या जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है जैसा अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाए।

(ix) यदि उपखंड (vii) की मद (ख) में निर्दिष्ट स्पष्टीकरण के मामले में, आवेदक को बुलाया गया है, वह अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड को यह भी अनुरोध कर सकता है कि उसे सुनवाई प्रदान करे जो विडियो कॉफ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से की जाए ।

(x) जहां आवेदक उपखंड (viii) की मद (ख) में निर्दिष्ट स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, ऐसे समय या विस्तारित समय के भीतर, जैसा कि अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाए, उक्त स्पष्टीकरण के लिए प्रतीक्षा किए बिना, अधिनियम की धारा 245 द की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन आदेश पारित किया जा सकता है।

(xi) जहां आवेदक उपखंड (vii) की मद (ख) में निर्दिष्ट स्पष्टीकरण देता है, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड अधिनियम की धारा 245 की उपधारा (2) के अधीन आदेश द्वारा, आवेदन मंजूर या नामंजूर कर सकता है, आवेदन नामंजूर किए जाने के मामले में ऐसी नामंजूरी के कारण प्रदान कर सकता है।

(xii) यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड उपखंड (vii) या उपखंड (viii) की मद (क) या उपखंड (x) या उपखंड (xi) में निर्दिष्ट आदेश की प्रति, आवेदक को और यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजी जाएगी।

(ग) अग्रिम विनिर्णयों के लिए आदेश-

(i) जहां अग्रिम विनिर्णयों के लिए आवेदन खंड ख के उपखंड (vii) या उपखंड (viii) की मद (क) या उपखंड (x) या उपखंड (xi) में यथानिर्दिष्ट आदेश द्वारा मंजूर किया गया है, अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड आवेदक को और प्राधिकरण जिसको निर्देश दिया गया है, ऐसे समय या विस्तारित समय के भीतर जैसा कि अग्रिम विनिर्णयों के लिए बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जाए, ऐसी और सामग्री, जानकारी या साक्ष्य जो कार्यवाहियों के लिए सुसंगत हो प्रस्तुत करने के लिए सूचना भेज सकता है।

(ii) आवेदक या प्राधिकारी जिसे निर्देश किया गया है, आवेदन अनुज्ञात करने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को ऐसी कार्यवाहियों से सुसंगत कोई और सामग्री, सूचना या साक्ष्य प्रस्तुत करेगा;

(iii) आवेदक या प्राधिकारी जिसे निर्देश किया गया है, इस निमित्त किए गए निवेदन के आधार पर, विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा विस्तारित किया जाए, खंड (i) में यथानिर्दिष्ट नोटिस का उत्तर देगा;

(iv) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, खंड (iii) में यथानिर्दिष्ट उत्तर पर विचार करने के पश्चात् और आवेदक के निवेदन पर अधिनियम की धारा 245द की उपधारा (5) के अधीन (वीडियो कान्फ्रैंसिंग या वीडियो टेलिफोनी के माध्यम से) सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक को और प्राधिकारी को देगा जिसे निर्देश किया गया है।

7. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करना- (1) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, स्वविवेक पर आवेदक को ऐसे अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करना, जो इसे अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, अनुज्ञात कर सकेगा या उससे अपेक्षा कर सकेगा।

(2) जहां अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तथ्य अभिकथित किया जाता है जिसे परिसाक्षित नहीं किया जा सकता या जो अभिलेख के विपरीत है, तो इसका कथन स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में किया जाएगा तथा यह सम्यक् रूप से प्रतिज्ञाबद्ध शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा।

8. आवेदन में अंतर्विष्ट प्रश्न – अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की छूट के सिवाय, आवेदक, आवेदन में नहीं लिखे गए किसी अतिरिक्त प्रश्न के समर्थन में जोर नहीं देगा या उसकी सुनवाई नहीं होगी, किन्तु आवेदन का विनिश्चय करने में अग्रिम विनिर्णय बोर्ड स्वविवेक पर लिखे गए प्रश्नों की सभी पहलूओं पर विचार करेगा जो इसके विचार के लिए रखे गए प्रश्नों के सार पर विनिर्णय की घोषणा करने के लिए आवश्यक हों।

9. अतिरिक्त तथ्यों का सत्यापन – जहां अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, पैरा 3 में निर्दिष्ट (जिसके अंतर्गत उपावंध और विवरण तथा ऐसे उपावंध से संलग्न अन्य दस्तावेज भी हैं) अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन में अंतर्विष्ट नहीं किए गए किसी तथ्य पर विश्वास करने की ईप्सा की जाती है तो वे लिखित में अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे और उनका सत्यापन उसी रीति में किया जाएगा जो ऐसी आवेदन में उपबंधित है।

10. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की शक्तियां – (1) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, अपनी शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां रखेगा, जो अधिनियम की धारा 131 में निर्दिष्ट हैं।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड धारा 195 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा, किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं तथा अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और भारतीय दंड संहिता (1860 का 54) की धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(3) यदि अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के किसी आदेश को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह स्वतः या, यथास्थिति, आवेदक अथवा आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उस कठिनाई को दूर कर सकेगा जहां तक वह अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है।

11. सचिव की शक्तियां और कृत्य – (1) सचिव के पास अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के अभिलेखों या ई-अभिलेखों की अभिरक्षा होगी तथा वह ऐसे अन्य कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसे इस स्कीम के अधीन या अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा पृथक आदेश द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की शासकीय मुहर सचिव की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(3) सचिव की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य भी होंगे, अर्थात् :-

(i) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष फाइल किए गए सभी आवेदनों को प्राप्त करना ;

(ii) यह पता लगाने के लिए कि आवेदन अधिनियम, नियमों और प्रक्रिया के अनुरूप हैं, उनकी संवीक्षा करना ;

(iii) ऐसे आवेदनों में त्रुटियों को पक्षकारों का बताना तथा उन्हें अपेक्षित समय प्रदान करके त्रुटियां दूर करने की अपेक्षा करना, जहां दिए गए समय के भीतर त्रुटियां दूर नहीं की जाती तो अग्रिम विनिर्णय बोर्ड से आवश्यक आदेश प्राप्त करना ;

(iv) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के सदस्यों के परामर्श से आवेदनों के लिए सुनवाई की तारीख नियत करना तथा उसके लिए नोटिस जारी करना निदेशित करना ;

(v) नोटिसों और अन्य प्रक्रियाओं की तामील जारी करना तथा यह सुनिश्चित करना कि पक्षकारों तक उचित ढंग से तामील हो ;

(vi) किसी व्यक्ति की अभिरक्षा से, जिसके अंतर्गत आयकर आयुक्त या कोई अन्य प्राधिकारी है, अभिलेखों की अध्यपेक्षा करना ;

(vii) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञात करना ;

(viii) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के अभिलेखों का कोई औपचारिक संशोधन निदेशित करना ;

(ix) पक्षकारों को अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के आदेशों की प्रमाणित प्रति प्रदान करना ;

(x) नियमों के अनुसार पक्षकारों को कार्यवाहियों में फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करना ;

(xi) कार्यवाहियों के किसी पक्षकार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के मामले में विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना तथा हेतुक शीर्ष में समुचित संशोधन करना जो अन्य स्थितियों में आवश्यक हों ; और

(xii) कोई अन्य कृत्य करना जो अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा विशेष या साधारण आदेश द्वारा समनुदेशित किए जाए।

12. फाइल किए जाने वाला प्राधिकरण – सुनवाई में आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाला प्राधिकृत प्रतिनिधि, सुनवाई प्रारंभ होने के पूर्व आवेदक के लिए उपस्थित होने का प्राधिकरण करने वाला एक दस्तावेज फाइल करेगा और यदि वह आवेदक का नातेदार है तो दस्तावेज में उसकी आवेदक के साथ नातेदारी की प्रकृति, या यदि वह आवेदक का नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति है तो उसकी हैसियत जिसमें उसे उस समय नियोजित किया गया है, का कथन किया जाएगा।

13. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक अभिलेख निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा –

(क) यथास्थिति, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा उसके डिजिटल हस्ताक्षर करके ;

(ख) आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसके डिजिटल हस्ताक्षर करके यदि उसे नियमों के अधीन डिजिटल हस्ताक्षराधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, और किसी मामले में उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से संसूचित करके ।

14. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष कोई व्यक्तिगत उपस्थिति न होना – (1) आवेदक को अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष या सचिव, अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पास नियुक्त कार्यपालक या परामर्शदाता के समक्ष इस स्कीम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा ।

(2) यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाओं की स्थापना करेंगे, जिसके अंतर्गत दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर भी है जो ऐसी अवस्थाओं पर जो आवश्यक हों, वीडियो टेलिफोनी का समर्थन करता हो जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि इस स्कीम के फायदों से मात्र इस आधार पर वंचित न हो कि ऐसे आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच वीडियो कान्फ्रेंसिंग तक नहीं है ।

15. भूल सुधार – (1) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, अभिलेख से प्रकट किसी भूल के सुधार के दृष्टिकोण से निर्धारण अधिकारी द्वारा अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा घोषित किए गए विनिर्णय के प्रभावी किए जाने के पूर्व इसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा ।

(2) ऐसा संशोधन स्वप्रेरणा से या जब भूल, यथास्थिति आवेदक या आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त द्वारा जानकारी में लाई जाती है, किन्तु, यथास्थिति आवेदक या आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर अनुज्ञात करने के पश्चात्, किया जा सकेगा ।

16. अपील कार्यवाहियां – (1) इस स्कीम के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा पारित अग्रिम विनिर्णय आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय के समक्ष होगी ।

(2) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला निर्धारण अधिकारी, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के निदेशों पर, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा ।

17. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुला न होना - अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होंगी और (आवेदक, उसके कर्मचारी, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के संबंधित अधिकारियों या आयकर प्राधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधियों से भिन्न) कोई भी व्यक्ति, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की अनुज्ञा के बिना, वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलिफोनी पर भी ऐसी कार्यवाहियों के दौरान उपस्थित नहीं रहेगा ।

18. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के निमित्त संसूचना – (1) वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलिफोनी के माध्यम से सुनवाई का अवसर अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा यथा प्राधिकृत किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा सुकर बनाया जाएगा, जो अग्रिम रूप से आवेदक और संबंधित पक्षकारों को लिंक तथा पासवर्ड प्रदान करेगा ।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की आंतरिक और बाह्य सभी संसूचनाएं अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा यथा प्राधिकृत किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

19. संसूचना अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से होना – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संसूचनाओं का विनिमय इलैक्ट्रानिक ढंग से होगा ।

(ख) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड और, यथास्थिति, आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त के बीच सभी संसूचनाओं का विनिमय इलैक्ट्रानिक ढंग से होगा :

परन्तु अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा इलैक्ट्रानिक ढंग से भिन्न किसी अन्य ढंग से प्राप्त आवेदन, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक इलैक्ट्रानिक रूप से, यथास्थिति आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित किया जाएगा ;

(ग) इस स्कीम के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड से प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना पाने वाले को, जो आवेदक है, आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल भेज कर परिदान किया जाएगा ;

(घ) आवेदक या प्राधिकृत प्रतिनिधि इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का उत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को फाइल करेगा ;

(ङ) यथास्थिति, आयकर प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का उत्तर अपनी शासकीय ई-मेल सुविधा के माध्यम से अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को फाइल करेगा ।

20. अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की भाषा – (1) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड की भाषा, आवेदक के विकल्प पर, हिन्दी या अंग्रेजी होगी।

(2) जहां कोई दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में है, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उसके साथ फाइल किया जाना चाहिए ।

(3) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा पारित विनिर्णय और अन्य आदेश, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के विवेकानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में होंगे ।

21. आदेशों का प्रकाशन - अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, यदि अपने आदेश को प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशित करवाना ठीक समझे तो, उसे ऐसी शर्तों के साथ जो अग्रिम विनिर्णय बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, प्रकाशन के लिए भेजा जा सकेगा ।

22. अधिनियम के अध्याय 29-ख के उपबंधों का लागू होना – ऊपर अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनियम के अध्याय 29-ख के अन्य सभी उपबंध लागू होंगे ।

23. प्ररूप, ढंग, प्रक्रिया और आदेशिका विनिर्दिष्ट करने की शक्ति – आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), जब कभी अपेक्षित हो, यथास्थिति, आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) के परामर्श से, बोर्ड के अनुमोदन से, इस स्कीम के अधीन ई- अग्रिम विनिर्णय कार्यवाहियों के संचालन हेतु प्रभावी कार्यकरण के लिए मानक, प्रक्रियाएं और आदेशिकाएं अधिकथित कर सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्ररूप, ढंग, प्रक्रिया और आदेशिका भी हैं, अर्थात् :-

- (i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील ;
- (ii) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से किसी जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति ;
- (iii) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना ;
- (iv) “ई- अग्रिम विनिर्णय” सुविधा का उपबंध जिसके अंतर्गत लॉगइन खाता सुविधा, ई- अग्रिम विनिर्णय कार्यवाहियों की प्रास्थिति का पता लगाना, सुसंगत व्यौरों का प्रदर्शन और डाउनलोड करने की सुविधा भी है ;
- (v) जानकारी और उत्तर तक पहुंच, उसका सत्यापन और अधिप्रमाणन, जिसके अंतर्गत ई-अग्रिम विनिर्णय कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भी हैं ;
- (vi) केन्द्रीकृत रीति में जानकारी या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुनः प्राप्ति ; और
- (vii) संबंधित अग्रिम विनिर्णय बोर्ड में साधारण प्रशासन और शिकायत निवारण तंत्र ।

[अधिसूचना सं. 07/2022/ फा.सं. 370142/62/2021-टीपीएल(भाग-1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

**MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
(INCOME-TAX)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 248(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (9) and (10) of section 245R and sub-sections (2) and (3) of section 245W of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the “e-advance rulings Scheme, 2022”.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

- (i) “Act” means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (ii) “addressee” shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (iii) “advance ruling” shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 245N of the Act;
- (iv) “applicant” means the assessee who had filed an application under section 245Q of the Act;
- (v) “authorised representative” shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Act;
- (vi) “automated allocation system” means an algorithm for randomised allocation of cases, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to eliminate discretion and optimise the use of resources;
- (vii) “Board For Advanced Rulings” means the Board for Advance Rulings constituted under section 245-OB of the Act;
- (viii) “computer resource” shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (ix) “computer system” shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (x) “designated portal” means the web portal designated as such by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be;
- (xi) “digital signature” shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xii) “electronic mode” means any communication by way of an e-mail, video-telephony or video conferencing or any other electronic media;
- (xiii) “electronic record” shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xiv) “email” or “electronic mail” and “electronic mail message” means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message;
- (xv) “Joint Secretary (Foreign Tax and Tax Research)” shall mean a person appointed by the Central Government as the Joint Secretary, Foreign Tax and Tax Research in the Department of Revenue, Ministry of Finance;
- (xvi) “Principal Commissioner or Commissioner”, in respect of an application, means—
 - (i) the Principal Commissioner or Commissioner of Income-tax, specified in the application; or
 - (ii) the Principal Commissioner or Commissioner of Income-tax designated by the Board in respect of the application;

- (xvii) “registered e-mail address” means the e-mail address at which an electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee, including—
- (a) the e-mail address available in the electronic filing account of the addressee registered in the designated portal; or
 - (b) the e-mail address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or
 - (c) the e-mail address available in the permanent account number database relating to the addressee; or
 - (d) in the case of addressee being an individual who possesses the Aadhaar number, the e-mail address of addressee available in the database of Unique Identification Authority of India; or
 - (e) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the official website of Ministry of Corporate Affairs; or
 - (f) any e-mail address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such authority;
- (xviii) “Rules” means the Income-tax Rules, 1962;
- (xix) “Secretary” shall mean a Commissioner appointed by Central Board of Direct Taxes as Secretary of Board for Advance Rulings;
- (xx) “video conferencing or video telephony” means the technological solutions for the reception and transmission of audio-video signals by users at different locations, for communication between people in real-time.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Scope of the Scheme.— This Scheme shall be applicable to applications of advance rulings,—

- (a) made to the Board for Advance Rulings under sub-section (1) of section 245Q of the Act; or
- (b) transferred to Board for Advance Rulings under sub-section (4) of section 245Q of the Act.

4. E-advance rulings by Board for Advance Rulings.— (1) The Board for Advance Rulings shall pronounce e-advance rulings of applications allocated or transferred to it under paragraph 5, in accordance with the provisions of this Scheme;

(2) The Board for Advance Rulings shall have such other income-tax Authority, ministerial staff, executive or consultant to assist the members of the Board for Advance Rulings, as considered necessary by the Central Board of Direct Taxes.

5. Allocation of applications for advance ruling.- The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income tax (Systems), as the case may be, shall, with the approval of the Central Board of Direct Taxes, devise a process to randomly allocate or transfer the applications for advance ruling, referred to in paragraph 3, to the Board for Advance Rulings through an automated allocation system.

6. Procedure for giving advance ruling.— The procedure for giving advance ruling on applications allotted or transferred to a Board for Advance Rulings, referred to in paragraph 5, shall be as per the following, namely:-

A. Procedure for filing applications.-

- (i) an application, referred to in clause (a) of paragraph 3, shall be made, in Form Nos, 34C, 34D, 34DA, 34E, 34EA mentioned in under Rule 44E of the Rules, by the applicant, to the Secretary or any other officer authorised in writing by the Secretary of Board for Advance Rulings, by electronic mail;
- (ii) if the applicant is not hitherto assessed in India, he shall indicate in Annexure I as provided in the relevant Forms to the application:
 - (a) his head office in any country,
 - (b) the place where his office and residence is located or is likely to be located in India, and
 - (c) the name and address of his representatives in India, if any, authorised to receive notices and papers and act on his behalf;
- (iii) the Secretary may send the application back to the applicant if it is defective in any manner for removing the defects within such time as he may allow. Such application shall be deemed to have been made on the date when it is re-submitted after removing the defects;

- (iv) an applicant may withdraw an application within thirty days from the date of the application.

B. Procedure on receipt of application.-

- (i) the Board for Advance Rulings shall intimate the applicant about the allocation or transfer, as the case may be;
- (ii) where an application, referred to in clause (b) of paragraph 3, has been allowed by means of an order of the Authority for Advance Rulings under sub-section (2) of section 245R of the Act, on or prior to the date on which such case is transferred to the Board for Advance Rulings, such application shall be deemed to have been allowed by the Board for Advance Rulings;
- (iii) upon allocation or transfer, as the case may be, of an application, other than the application referred to in sub-clause (ii), the Board for Advance Rulings shall,-
 - (a) where the applicant is assessed to tax in India, forward a copy of the application to the Principal Commissioner or Commissioner, as the case may be; or
 - (b) where the applicant is hitherto not assessed to tax in India, forward a copy of the application to Joint Secretary (Foreign Tax and Tax Research),
 along with a requisition to furnish the relevant records within such time as allowed by the Board for Advance Rulings;
- (iv) upon receipt of the requisition, as referred to in item (b) of sub-clause (iii), the Joint Secretary (Foreign Tax and Tax Research) shall assign such application to the Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) or Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation), as the case may be, connected to the details mentioned in items (b) or (c) of sub -clause (ii) of clause A, requesting him to furnish the relevant records, within such time as may be specified by Board for Advance Rulings;
- (v) upon receipt of request, as referred to in item (a) of sub-clause (iii), or in sub-clause (iv), the relevant records shall be furnished to the Board for Advance Rulings by the authority to whom the reference has been made;
- (vi) where the request is in respect of a transaction already undertaken, the Board for Advance Rulings may require the authority to whom the reference has been made to verify the facts contained in the application;
- (vii) where the authority to whom the reference has been made fails to furnish relevant records, as referred to in item (a) of sub -clause (iii) or sub-clause (iv), the Board for Advance Rulings may proceed to allow or reject the application, by order, without waiting for the said records;
- (viii) where the relevant records, as referred to in item (a) of sub-clause (iii) or sub-clause (iv), have been submitted by the authority to whom the reference has been made, the Board for Advance Rulings, after examination of the application and the said records, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 245R of the Act, may-
 - (a) by an order allow the application; or
 - (b) call upon the applicant to explain as to why the application may not be rejected and direct him to submit any relevant material or information in support of such application within such time as allowed by the Board for Advance Rulings;
- (ix) in case of an explanation, referred to in item (b) of sub -clause (viii), has been called from the applicant, he may also request the Board for Advance Rulings to provide him a hearing which may be provided through video conference or video telephony;
- (x) where the applicant fails to furnish explanation, referred to in item (b) of sub-clause (viii), within such time or extended time, as may be allowed by the Board for Advance Rulings, it may proceed to pass the order under the provisions of sub-section (2) of section 245R of the Act, without waiting for the said explanation;
- (xi) where the applicant furnishes the explanation, referred to in item (b) of sub-clause (viii), the Board for Advance Rulings may, by an order under sub-section (2) of section 245R of the Act, allow or reject the application, providing reasons for rejection in case the application is rejected;
- (xii) The Board for Advance Rulings shall send a copy of the order referred to in sub -clause (vii) or item (a) of sub-clause (viii) or sub-clause (x) or sub-clause (xi), as the case may be, to the applicant and the Principal Commissioner or Commissioner, as the case may be.

C. Order for advance ruling.-

- (i) where an application for advance rulings has been allowed by an order, as referred to in sub-clause (vii) or item (a) of sub-clause (viii) or sub-clause (x) or sub-clause (xi) of clause B, the Board for Advance Rulings may send a notice to the applicant and the authority to whom the reference has been made, to submit such further material, information or evidence, as may be relevant to the proceedings, within such time or extended time, as may be allowed by the Board for Advance Rulings;
- (ii) the applicant or the authority to whom the reference has been made may, after the application has been allowed, *suomotu* submit any further material, information or evidence, as may be relevant to such proceedings, to the Board for Advance Rulings;
- (iii) the applicant or the authority to whom the reference has been made, shall respond to the notice, as referred to in clause (i), within the specified time or such time as may be extended by the Board for Advance Rulings, on the basis of a request made in this behalf;
- (iv) the Board for Advance Rulings shall, after considering the response, as referred to in clause (iii), and after providing an opportunity of being heard (through video conferencing or video telephony) under sub-section (5) of section 245R of the Act on the request of the applicant pronounce the advance ruling on the question specified in the application and send a copy thereof to the applicant and the authority to whom the reference has been made.

7. Submission of additional facts before the Board for Advance Rulings.—(1) The Board for Advance Rulings may at its discretion permit or require the applicant to submit such additional facts as may be necessary to enable it to pronounce its advance ruling.

(2) Where in the course of the proceedings before the Board for Advance Rulings, a fact is alleged which cannot be borne out by, or is contrary to, the record, it shall be stated clearly and concisely and supported by a duly sworn affidavit.

8. Questions contained in the application.— The applicant shall not, except by leave of the Board for Advance Rulings, urge or be heard in support of any additional question not set forth in the application, but in deciding the application the Board for Advance Rulings shall, at its discretion, consider all aspects of the questions set forth as may be necessary to pronounce a ruling on the substance of the questions posed for its consideration.

9. Verification of additional facts.— Where in the course of any proceedings before the Board for Advance Rulings any fact not contained in the application for advance ruling (including the annexure and the statements and other documents accompanying such annexure), referred to in paragraph 3, are sought to be relied upon, they shall be submitted to the Board for Advance Rulings in writing and shall be verified in the same manner as provided for in such application.

10. Powers of the Board for Advance Rulings.— (1) The Board for Advance Rulings shall, for the purpose of exercising its powers, have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) as are referred to in section 131 of the Act.

(2) The Board for Advance Rulings shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195, but not for the purposes of Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and every proceeding before the Board for Advance Rulings shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228, and for the purpose of section 196, of the Indian Penal Code (45 of 1860).

(3) If any difficulty arises in giving effect to any order of the Board for Advance Rulings, it may, on its own motion or on an application made by the applicant or the Principal Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, remove the difficulty in so far as it is not inconsistent with the provisions of the Act.

11. Powers and functions of the Secretary.—(1) The Secretary shall have the custody of the records or e-records of the Board for Advance Rulings and shall exercise such other functions as are assigned to him under this Scheme or by the Board for Advance Rulings by separate order.

(2) The official seal of the Board for Advance Rulings shall be kept in custody of the Secretary.

(3) The Secretary shall also have the following powers and duties, namely:—

- (i) to receive all applications filed before the Board for Advance Rulings ;
- (ii) to scrutinise the applications to find out whether they are in conformity with the Act, the rules and the procedure;
- (iii) to point out defects in such application to the parties and require them to remove the defects by affording them a reasonable opportunity to do so and, where, within the time granted, the defects are not removed, to obtain necessary orders of the Board for Advance Rulings ;

- (iv) to fix the date of hearing for the applications in consultation with the members of the Board for Advance Rulings and direct the issue of notices therefor;
- (v) to issue the service of notices or other processes and to ensure that the parties are properly served;
- (vi) to requisition records from the custody of any person including a Commissioner of Income-tax or any other authority;
- (vii) to allow inspection of records of the Board for Advance Rulings ;
- (viii) to direct any formal amendment of the records of the Board for Advance Rulings ;
- (ix) to grant certified copies of the orders of the Board for Advance Rulings to the parties;
- (x) to grant certified copies of documents filed in the proceedings to the parties in accordance with the rules;
- (xi) to bring on record legal representatives, in case of death or retirement of any party to the proceedings and to make such appropriate amendments in the cause title as may become necessary in the other situations; and
- (xii) to discharge any other function as may be assigned by the Board for Advance Rulings by special or general order.

12. Authorisation to be filed.— An authorised representative appearing for the applicant at the hearing shall file, before the commencement of the hearing, a document authorising him to appear for the applicant and if he is a relative of the applicant, the document shall state the nature of his relationship with the applicant, or if he is a person regularly employed by the applicant the capacity in which he is at the time employed.

13. Authentication of electronic record.— For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by the—

- (a) Board for Advance Rulings , the Principal Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, by affixing its digital signature;
- (b) applicant or his authorised representative, by affixing his digital signature if he is required under the Rules to furnish his return of income under digital signature, and in any other case, by communicating through his registered e-mail address.

14. No personal appearance before the Board for Advance Rulings .— (1) The applicant shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under this Scheme before the Board for Advance Rulings or before the Secretary, ministerial staff, executive or consultant posted with the Board for Advance Rulings .

(2) The Principal Director General of Income Tax (Systems) or Director General of Income Tax (Systems), as the case may be, shall establish suitable facilities for video conferencing including telecommunication application software which supports video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the applicant, or his authorised representative, is not denied the benefit of this Scheme merely on the ground that such applicant or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing at his end.

15. Rectification of mistakes.—(1) The Board for Advance Rulings may, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it before the ruling pronounced by the Board for Advance Rulings has been given effect to by the Assessing Officer.

(2) Such amendment may be made *suo motu* or when the mistake is brought to its notice by the applicant or the Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax, as the case may be, but only after allowing the applicant and the Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax, as the case may be, reasonable opportunity of being heard.

16. Appellate Proceedings.— (1) An appeal against an order for advance ruling passed by the Board for Advance Rulings under this Scheme shall lie before the High Court.

(2) The Assessing Officer, having jurisdiction over the applicant, on the directions of the Principal Commissioner or Commissioner, may file an appeal to the High Court against an order of Board for Advance Rulings. .

17. Proceedings not open to the public.— The proceedings before the Board for Advance Rulings shall not be open to the public and no person (other than the applicant, his employee, the concerned officers of the Board for Advance Rulings or the Income-tax authority or the authorised representatives) shall, without the permission of the Board for Advance Rulings , remain present during such proceedings, even on video conferencing or video telephony.

18. Communication on behalf of the Board for Advance Rulings .— (1) The opportunity for hearing through video conferencing or video telephony shall be facilitated by any income-tax authority as authorised by the Board for Advance Rulings, who will provide the link and password to the applicant and concerned parties in advance.

(2) All communication of the Board for Advance Rulings inward and outward shall be carried out by any income-tax authority as authorised by the Board for Advance Rulings .

19. Communication exclusively by electronic mode.—(1) For the purposes of this Scheme,-

- (a) all communications between the Board for Advance Rulings and the applicant, or his authorised representative, shall be exchanged by electronic mode;
 - (b) all communications between the Board for Advance Rulings and the Principal Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, shall be exchanged by electronic mode:
- Provided that any application received in a mode other than electronic mode by the Board for Advance Rulings may be forwarded to the Principal Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, electronically, to the extent technologically feasible;
- (c) every notice or order or any other electronic communication under this Scheme from the Board for Advance Rulings shall be delivered to the addressee, being the applicant by sending an e-mail to the registered email address of the applicant or his authorised representative;
 - (d) the applicant or the authorised representative shall file his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, to the Board for Advance Rulings through his registered e-mail address;
 - (e) the Principal Commissioner of Income-tax or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, shall file his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, to the Board for Advance Rulings through official electronic mail facility.

20. Language of the Board for Advance Rulings.—(1) The language of the Board for Advance Rulings shall be in Hindi or English, at the option of the applicant.

(2) Where any document is in a language other than English or Hindi, an English translation thereof should also be filed along therewith.

(3) The ruling, and other orders passed by the Board for Advance Rulings may, at the discretion of the Board for Advance Rulings , be in Hindi or English.

21. Publication of orders.—The Board for Advance Rulings, if deems fit its order to be published in any authoritative report or the press, may be sent for publication with such conditions as the Board for Advance Rulings specify.

22. Application of the provisions of Chapter XIX-B of the Act.—Save as otherwise provided herein above, all other provisions of the Chapter XIX-B of the Act shall apply.

23. Power to specify format, mode, procedure and processes.—The Principal Chief Commissioner of Income-tax (International Taxation) shall, wherever required, in consultation with Principal Director General of Income Tax (Systems) or Director General of Income Tax (Systems), as the case may be, with the approval of Board, lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the conduct of e-advance rulings proceedings under this Scheme, including format, mode, procedure and processes in respect of the following, namely:—

- (i) service of the notice, order or any other communication;
- (ii) receipt of any information or documents from the person in response to the notice, order or any other communication;
- (iii) issue of acknowledgment of the response furnished by the person;
- (iv) provision of “e-advance rulings” facility including login account facility, tracking status of e-advance rulings proceedings, display of relevant details, and facility of download;
- (v) accessing, verification and authentication of information and response including documents submitted during the e-advance rulings proceedings;
- (vi) receipt, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner; and
- (vii) general administration and grievance redressal mechanism in the respective Boards for advance ruling.

[Notification No. 07/2022/ F.No.370142/62/2021-TPL(Part-I)]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy & Legislation